न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2016/233 दायर दिनांक 06.12.2012

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. उम्मेदसिंह पुत्र दयालसिंह, उम्र–65साल, 2. महेन्द्रसिंह पुत्र दयालसिंह, उम्र–56साल, समस्त,जाति–राजपूत, निवासी–खादूखुर्द, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. बोदुसिंह पुत्र मोगसिंह, 2. शम्भुसिंह पुत्र मोगसिंह, 3. सम्पतसिंह पुत्र मोगसिंह, 4. भँवरकँवर पत्नी स्व0 मोगसिंह, 5. विजेन्द्रसिंह पुत्र गणेशसिंह, 6. सुमनकँवर पुत्री गणेशसिंह, 7. प्रेमकँवर पत्नी स्व0 गणेशसिंह, 8. कल्याणसिंह पुत्र पाबूदानसिंह, 9. नत्थुसिंह पुत्र जयसिंह, 10. भँवरकँवर पुत्री भँवरसिंह, 11. सज्जनसिंह पुत्र दुर्जनसिंह, 12. तेजसिंह पुत्र दुर्जनसिंह, 13. इचरजकँवर पुत्री दुर्जनसिंह, 14. सन्तोषकँवर पुत्री दुर्जनसिंह, 15. चैनकँवर पुत्री दर्जनसिंह, 16. अनोपकँवर पत्नी स्व0 दुर्जनकँवर, 17. दरीयावकँवर पुत्री अनोपसिंह, 18. प्रतापसिंह पुत्र उगमसिंह, 19. प्रकाशकँवर पुत्री उगमसिंह, 20. सुमनकँवर पुत्री उगमसिंह, 21. भरतसिंह पुत्र जतनसिंह, 22. मन्जूकँवर पुत्री जतनसिंह, 23. राजेन्द्रसिंह पुत्र गणपतसिंह, 24. होशियारकँवर पुत्री गणपतसिंह,

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 2016/233
दायर दिनांक 06.12.2012, प्राथमिक निर्णय दिनांक 30.06.2017
उम्मेदसिंह, वगैरा बनाम् बोदुसिंह, वगैरा।

		25. प्रेमकँवर पुत्री गणपतसिंह, 26. सुरेन्द्रसिंह उर्फ परबतसिंह पुत्र दयालसिंह, 27. पुष्पकँवर पुत्री श्रवणसिंह, 28. रतनकँवर पुत्री श्रवणसिंह, 29. ओमकँवर पुत्री दयालसिंह, 30. गेन्दकँवर पुत्री दयालसिंह, 31. सुप्यारकँवर पुत्री दयालसिंह, समस्त,जाति–राजपूत, निवासी–खाटूखुर्द, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 32. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रेकर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–88, 53, 188 R.T. Act.

उपस्थितः– वादीगण हाजिर आये।

–:: प्राथमिक निर्णय ::–

दिनांक **30.06.2017**

वाद के तथ्य इस प्रकार है कि, वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 10 ता 28 स्व0 बृजलालसिंह के वंशज हैं। सरहद खाटूखुर्द के खसरा नम्बर 1335 रकबा 37 बीघा जिसके पुराना खसरा नम्बर 1023 रकबा 43.03 बीघा है। पुराना खसरा नम्बर 1023 की खातेदारी सम्वत् 2005 में वादीगण के पिता दयालसिंह पुत्र बृजलालसिंह के नाम थी। उक्त खातेदारी सम्वत् 2025 की वादीगण के पिता दयालसिह पुत्र बृजलालसिंह के नाम रही तथा गिरदावरी सम्वत् 2010–2020 में भी वादीगण के पिता दयालसिंह के नाम दर्ज है। मगर वादीगण के पिता का स्वर्गवास सन् 1975 में हुआ। वादी उम्मेदसिंह उस वक्त भारतीय सेना में कार्यरत थे तथा वादी उम्मेदसिंह के बड़े भाई श्रवणसिंह का स्वर्गवास भी उनके पिता दयालसिंह के समय ही हो गया। बकाया वादी उम्मेदसिंह के भाई नाबालिग स्थिति में थे इसलिए वादीगण का वादग्रस्त पैतृक सम्पत्ति में राजस्व रिकॉर्ड में राजस्व अधिकारियों की भूलवश नाम दर्ज नहीं हो सका जबकि वादीगण व उसके भाई बहिन प्रतिवादीगण संख्या 26 ता 31 का आज भी पैतृक सम्पत्ति खसरा नम्बर 1335 रकबा 37 बीघा 1/6 हिस्सा में आज भी कब्जा है। वर्तमान खतौनी सम्वत् 2005 से 2025 तक की व खसरा मिलान तथा गिरदावरियां सम्वत् 2010 से 2020 तक की प्रमाणित प्रतिलिपि वाद के साथ पेश है।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

(लगातार)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 2016/233
दायर दिनांक 06.12.2012, प्राथमिक निर्णय दिनांक 30.06.2017
उम्मेदसिंह, वगैरा बनाम् बोदुसिंह, वगैरा।

वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1335 रकबा 37 बीघा में 1/6 हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09 का है, प्रतिवादीनी भँवरकँवर का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 11 ता 17 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 18 ता 22 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 23 ता 25 का 1/6 हिस्सा तथा वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 26 ता 31 तक का भी 1/6 हिस्सा है। मौके पर सभी की सींवें–नींवें मौजूद हैं। मगर राजस्व अधिकारियों के सहवन से वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 26 ता 31 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो सका। इसलिए वादीगण को घोषणा खातेदारी का दावा पेश करना लाजमी आया है।

प्रार्थना वादीगण है कि,

सरहद खादूखुर्द के खसरा नम्बर 1335 रकबा 37 बीघा में से 1/6 हिस्सा का खातेदार स्व0 दयालसिंह के वारिसान् वादीगण व प्रतिवादी सुरेन्द्रसिंह उर्फ परबतसिंह को खातेदार घोषित किया जावे।

उक्त खसरा नम्बर 1335 का विधिवत् बन्टवारा कर नजरीनक्शा के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी सुरेन्द्रसिंह उर्फ परबतसिंह का हिस्सा अलग किया जावे व एक–दूसरे के हिस्से में आने–जाने का रास्ता भी रखा जावे।

उक्त खेत खसरा नम्बर 1335 रकबा 37 बीघा में वादीगण व प्रतिवादी सुरेन्द्रसिंह उर्फ परबतसिंह के अलावा जो स्व0 दयालसिंह के वारिसान् प्रतिवादी पुष्पकँवर, रतनकँवर, ओमकँवर, गेन्दकँवर व सुप्यारकँवर का हिस्सा वादीगण व सुरेन्द्रसिंह उर्फ परबतसिंह के बराबर–बराबर रखा जावे। वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 32 को वास्ते जवाबदेही हाजिर अदालत जर्ये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादीगण संख्या 01, 03 ता 05, 07, 08, 10 ता 15, 17, 20, 22 ता 32 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

प्रकरण, न्याय आपके द्वार कोर्ट कैम्प खादूखुर्द में पेश हुआ। उपस्थित वादीगण को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं साक्ष्य के अनुसार शरहद खादूखर्द के विवादग्रस्त भूमि के वादीगण व प्रतिवादीगण सहखातेदार हैं तथा विधिवत् बन्टवारा करवाने की इस्तदुआ कर रहे हैं। पक्षकारान् सहखातेदार होने के कारण बन्टवारा करवाने के कानूनन् हकदार हैं।

अतः वादीगण का वाद प्राथमिक डिक्री सादिर किया जाता है।

सहायक कलक्टर
फीडवाना

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 2016/233
पायर दिनांक 06.12.2012, प्राथमिक निर्णय दिनांक 30.06.2017
उम्मेदसिंह, वगैरा बनाम बोदुसिंह, वगैरा।

आदेश

दावा प्राथमिक डिक्री सादिर कर मौजा खाटूखुर्द के खेत खसरा संख्या 1336 रकबा 37 बीघा का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने का आदेश तहसीलदार डीडवाना को दिया जाता है।

वादी व प्रतिवादीगण की हिस्से की भूमि में आने–जाने हेतु, संयुक्त रूप से रास्ते की भूमि उपलब्ध करवाते हुए, दो प्रतियों में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश किया जावे।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना
कोट कैम्प–खाटूखुर्द

प्राथमिक निर्णय आज दिनांक 30.06.2017 को कोर्ट कैम्प–खाटूखुर्द में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना
कोट कैम्प–खाटूखुर्द

Scanned by CamScanner